

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, भीलवाडा
पीठासीन अधिकारी- विनोद कुमार (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या
238/2023

दायर दिनांक
26.06.2023

निर्णय दिनांक
24.08.2023

अनवान

1. उच्छबलाल पुत्र श्री मथरा लाल ब्राह्मण निवासी कोदूकोटा तहसील व जिला भीलवाडा।
 2. सत्यनारायण पुत्र श्री मथरा लाल ब्राह्मण निवासी कोदूकोटा तहसील व जिला भीलवाडा।
- प्रार्थीगण

बनाम

1. सीमा देवी पत्नी मुकेश खटीक निवासी कोदूकोटा तहसील व जिला भीलवाडा।
 2. सुनील पुत्र राममनोहर सोडाणी निवासी नीलकंठ कॉलोनी भीलवाडा
 3. हेमन्त कुमार पुत्र बालकृष्ण निवासी शहीद चौक सांगानेरी गेट भीलवाडा।
 4. जुगलकिशोर पुत्र बालकृष्ण निवासी शहीद चौक सांगानेरी गेट भीलवाडा।
 5. निर्मला पत्नी मनोज कुमार तम्बोली निवासी डाक बंगले के पिछे गांधीनगर भीलवाडा।
 6. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार भीलवाडा।
- अप्रार्थीगण

उपस्थिति :- अधिवक्ता प्रार्थीगण- श्री ईश्वर लाल खटीक
अप्रार्थीगण

-:: प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 राज0 भू-राजस्व अधिनियम ::-

-:: निर्णय ::-

संक्षेप में विवरण इस प्रकार है कि प्रार्थीगण ने अप्रार्थीगण के विरुद्ध प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 राज0 भू-राजस्व अधिनियम, 1956 प्रस्तुत कर निवेदन किया कि मौजा सिदडियास पटवार हल्का सिदडियास भू0अ0नि0 महुआकलां तहसील व जिला भीलवाडा की जमाबंदी संवत् 2069-2077 के खाता संख्या 25. की अभिलिखित आराजियात आराजी संख्या 2003/1930 रकबा 1.9473 है0 कुल किता 01 कुल रकबा 1.9473 है0 कृषि भूमि प्रार्थीगण की संयुक्त खातेदारी एवं कब्जे काशत की है और अप्रार्थीगण आराजियात जैर-बहस के पड़ौसी खातेदारान हैं। प्रार्थीगण एवं विपक्षीगण की आराजियात के बीच कोई स्थाई सीमा चिह्न नहीं होने के कारण विवाद होता रहता है। अतः प्रार्थीगण की खातेदारी की आराजियात की मौके पर अभिलेख अनुसार नपती की जाकर मौके पर स्थाई सीमा-चिह्न स्थापित किया जावे। प्रार्थीगण वर्णित भूमि के खातेदार काशतकार हैं।

इस पर प्रार्थीगण के प्रार्थना पत्र को दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। आज दिनांक 24.08.2023 को अप्रार्थीगण के बाजवूद सूचना के हाजिर नहीं आने से अप्रार्थीगण के विरुद्ध कार्यवाही एक तरफा किये जाने का आदेश दिया गया। हाजिर वकील प्रार्थीगण द्वारा प्रकरण का निस्तारण आज ही किये



उपखण्ड अधिकारी
भीलवाडा

जाने की इस्तदुआ की गई। हाजिर वकील प्रार्थीगण द्वारा निवेदन किया गया कि मामला पत्थरगढ़ी का है व प्रार्थीगण अपनी आराजियात की पत्थरगढ़ी कराना चाहते हैं, अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जावे। हमने प्रार्थना पत्र का अवलोकन किया। चिंतन मनन किया एवं पत्रावली को वास्ते आदेश नियत किया गया।

हमने पत्रावली का आद्योपान्त अवलोकन किया। प्रार्थीगण की ओर से प्रस्तुत राजस्व अभिलेख नकल जमाबन्दी का अवलोकन किया गया। प्रकरण के तथ्यों व बहस पर मनन किया। प्रार्थीगण आराजियात जैर-बहस के खातेदार काश्तकार हो कर इन्हें आराजियात जैर-बहस की नपती करा सीमांकन (पत्थरगढ़ी) कराने का अधिकार निहित है। उपर्युक्त विवेचन के क्रम में प्रार्थीगण प्रार्थना पत्र में अंकित भूमि के खातेदार सह-काश्तकार होने से सीमाज्ञान कराने के अधिकारी होने से प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 राज0 भू-राजस्व अधिनियम, 1956 स्वीकार किया जाता है।

तथा तहसीलदार भीलवाड़ा को सीमांकन (पत्थरगढ़ी) कराने का आदेश दिया जाता है। तहसीलदार भीलवाड़ा को आदेश दिया जाता है कि मौजा सिदडियास पटवार हल्का सिदडियास भू0अ0नि0 महुआकलां तहसील व जिला भीलवाड़ा की जमाबंदी संवत् 2069-2077 के खाता संख्या 25. की अभिलिखित आराजियात आराजी संख्या 2003/1930 रकबा 1.9473 है0 कुल किता 01 कुल रकबा 1.9473 है0 कृषि भूमि फरीकेन मुकदमा को सूचित किया जाकर उनकी उपस्थिति में कब्जे में बिना किसी भी प्रकार से हस्तक्षेप किये व किसी न्यायालय का स्थगन न हो तो एवं मौके पर फसल खड़ी न हो तो बन्दोबस्ती नक्शे अनुसार नपती की जाकर सीमा चिह्न स्थापित कर सीमांकन (पत्थरगढ़ी) किया जावे एवं पर्चा मौका एवं मौका नक्शा 15 दिवस में इस न्यायालय में प्रस्तुत करें। सीमांकन (पत्थरगढ़ी) हेतु तहसीलदार भीलवाड़ा को 1000/-रूपये शुल्क पर मौका कमिश्नर नियुक्त किया जाता है। कमिश्नरी शुल्क का रिकॉर्ड विधिवत् संधरित किया जाकर पालना रिपोर्ट मय पर्चा मौका आगामी 15 दिवस में आवश्यक रूप से पेश करें तथा कमिश्नरी फीस प्रार्थीगण से मौके पर प्राप्त करें। तहसीलदार भीलवाड़ा को तहरीर जारी करें।

पत्रावली निर्णित इन्द्राज की जाकर बाद आवश्यक कार्यवाही अभिलेखागार में भिजवाई जावे। निर्णय आज दिनांक 24.08.2023 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।


(विनोद कुमार)
उपसचिव अधिकारी
भीलवाड़ा